न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–41 / 2022

वादीनी		प्रतिवादीगण
1 प्रेमकंवर पत्नी जबरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान हाल निवासी रोहिड़ा पाड़ा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चतुर्भज पुत्र पन्नालाल जाति ओसवाल निवासी रोहिड़ा पाड़ा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री कुन्दनसिंह चौहान, वकील वादी पक्ष।
2. श्री प्रेम प्रजापत, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 24.05.2022

संक्षिप्त में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2801 / 2340 रकबा 22.00 बीघा भूमि वादीनी के पूर्व हितधारी श्री पन्नालाल पुत्र हंजारीमल जाति ओसवाल निवासी बाडमेर का आया हुआ था, जो वादग्रस्त आराजी पन्नालाल की स्वअर्जित थी। पन्नालाल द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी उक्त को वादीनी के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.07.1999 को निस्पादित कर दिया। तत्पश्चात पन्नालाल का दिनांक 28.05.2018 को देहान्त हो गया। उक्त वादग्रस्त खेत पर वादीनी का निर्बाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार यदि कोई खातेदार अपने जीवनकाल में वसीयत करता है तो उसकी खातेदारी उक्त वसीयत के आधार पर मृत्यु के पश्चात भी वसीयतग्रहिता के नाम दर्ज की जाती है, जिसके कारण धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादीनी के विधिक अधिकार उत्पन्न हो गये। उक्त खेत में वादीनी के विधिक अधिकार निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीनी खातेदारी में दर्ज करवाने के वादीनी अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2801 / 2340 रकबा 22.00 बीघा भूमि की वादीनी पूर्वहितधारी पन्नालाल से जरिये वसियतनामा दिनांक 12.07.1999 के आधार पर वादीनी के पक्ष में खातेदारी घोषित की जाती है तो प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

वादीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दी, जो प्रदर्श–01 है, नजरी नक्शा, प्रदर्श–02 है, वसीयतनामा, जो प्रदर्श–03 है, विद्युत बिल, जो प्रदर्श–04 है, नामान्तकरण संख्या 508, जो प्रदर्श–05 है, नामान्तकरण संख्या 1329 जो प्रदर्श–06 है, की प्रतियां प्रस्तुत की है। वादीनी ने मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी पूर्वहितधारी

पन्नालाल से जरिये वसियतनामा दिनांक 12.07.1999 के आधार पर वादीनी के पक्ष में खातेदारी में घोषित की जावें। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी का कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीनी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2801/2340 रकबा 22.00 बीघा भूमि वादीनी के पूर्व हितधारी श्री पन्नालाल पुत्र हंजारीमल जाति ओसवाल निवासी बाडमेर का आया हुआ था, जो वादग्रस्त आराजी पन्नालाल की स्वअर्जित थी। पन्नालाल द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी खेत को वादीनी के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 12.07.1999 को निस्पादित कर दिया। तत्पश्चात पन्नालाल का दिनांक 28.05.2018 को देहान्त हो गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार यदि कोई खातेदार अपने जीवनकाल में वसीयत करता है तो उसकी खातेदारी उक्त वसीयत के आधार पर मृत्यु के पश्चात भी वसीयतग्रहिता के नाम दर्ज की जाती है, जिसके कारण धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादीनी के विधिक अधिकार उत्पन्न हो गये। लिहाजा उक्त खेत में वादीनी के विधिक अधिकार निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीनी की खातेदारी में घोषित की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज चालु जमाबन्दी, जो प्रदर्श–01 है, नजरी नक्शा, प्रदर्श–02 है, वसीयतनामा, जो प्रदर्श–03 है, विद्युत बिल, जो प्रदर्श–04 है, नामान्तकरण संख्या 508, जो प्रदर्श–05 है, नामान्तकरण संख्या 1329 जो प्रदर्श–06 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं 39 के अन्तर्गत वादीनी के विधिक अधिकार उत्पन्न हो गये। लिहाजा उक्त खेत में वादीनी के विधिक अधिकार निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीनी की खातेदारी में घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वाद माफिक ईकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2801/2340 रकबा 22.00 बीघा भूमि वादीनी की खातेदारी में घोषित की जाती है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.05.22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर